

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी- संजू पारीक आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या- 21 / 2025

1. आमीन पुत्र जानमोहम्मद जाति मुस्लिम निवासी डुंगराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

-अपीलांट

बनाम

1. वन विभाग जरिये क्षेत्रीय वन अधिकारी भादरा तहसील भादरा।
2. सहायक वन संरक्षक हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा।

-रेस्पोंडेन्टस



उपस्थित:- श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता अपीलांट

श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या-1

निर्णय

दिनांक:-29.09.2025

अपीलांट आमीन पुत्र जानमोहम्मद जाति मुस्लिम निवासी डुंगराना तहसील भादरा द्वारा विरुद्ध निर्णय सहायक वन संरक्षक हनुमानगढ़ दिनांक 17.04.2025 प्रकरण संख्या 112/2024 निरस्त करवाने बाबत अपील प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में निम्न प्रकार है-

1. साईड प्रभारी कर्मचारी वन विभाग भादरा ने एक रिपोर्ट पेश की कि अपीलांट ने वन विभाग की भूमि रोही मोजा डुंगराना तहसील भादरा के ख.नं. 587 की 12.6460 हैक्टेयर भूमि में से 25 फीट x 30 फीट भूमि पर आवासीय मकान बनाकर नाजायज अतिक्रमण कर रखा है। उसी रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोंडेन्ट नं. 1 ने मातहत अदालत में रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि गैरसायल अपीलांट के खिलाफ राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज करने का निवेदन किया, जिस पर प्रकरण दर्ज कर गैरसायल को जबाब पेश करने बाबत नोटिस जारी किया। नियत तारीख को गैरसायल जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जबाब नोटिस पेश किया कि क्षेत्रीय वन अधिकारी की रिपोर्ट प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत है। गैरसायल ने वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है जबकि

प्रकरण संख्या 21/2025 अनवान आमीन बनाम क्षेत्रीय वन अधिकारी भादरा आदि

वन विभाग की भूमि के ख.नं. 587 के चिपते हुए ख.नं. 946/588 की भूमि गैरसायल की खातेदारी भूमि है, जिसमें मकान निर्माण कर रखा है, क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा कोई पैमाईस नहीं कि गई यदि कोई पैमाईस करवायी गई है तो वह एकतरफा है, जिसमें गैरसायल की भूमि की कोई पैमाईस नहीं कि गई रिपोर्ट राजनैतिक दबाब में की गई ना ही पैमाईस के समय गैरसायल को सुचना दी गई सारी कार्यवाही राजनैतिक है, जो गैरसायल को परेशान करने के लिए की गई इसलिए प्रकरण निरस्त योग्य है। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत जबाब से सारी स्थिति स्पष्ट होने के बावजूद भी दिनांक 17.04.2025 को अपीलांट के खिलाफ मालगुजारी का 50 गुणा कुल 4 रूपये एवं भूखण्ड माप 25 फीट x 30 फीट आवासीय मकान से बेदखल कर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किये जाने के आदेश पारित कर दिया जो किसी भी तरीके से चलने योग्य नहीं होने के कारण निरस्त योग्य है।

2. अपीलॉन्ट की पुरानी खातेदारी भूमि है जिसके चिपते हुए वन विभाग की भूमि है जिस पर अपीलांट ने कोई मकान निर्माण नहीं किया सिर्फ साईड प्रभारी कर्मचारी ने राजनैतिकवश स्पष्ट रिपोर्ट नहीं की है और उसी रिपोर्ट पर बिना किसी प्रकार की जांच किये विधि विरुद्ध निर्णय किया है, जो निरस्त योग्य है।

3. अपीलांट की पुरानी खातेदारी भूमि है जिसके चारो तरफ पुरानी सींव है, उसी सीमा के अन्दर मकान निर्माण किया है, जो काफी पुराना है, वन विभाग द्वारा कोई पैमाईस नहीं की गई, यदि कोई पैमाईस करवायी गई है तो वह एकतरफा है जिसमें गैरसायल की भूमि की कोई पैमाईस नहीं कि गई सिर्फ अन्दाजन रिपोर्ट की है उसी को आधार मानकर मातहत अदालत ने विधि विरुद्ध एवं मनमाना निर्णय किया है, जो निरस्त योग्य है।



मातहत अदालत का निर्णय स्वैच्छाचारी मनमाना एवं कानून सम्मत नहीं है जो निर्णय कि परिभाषा में नही आता है इसलिए निरस्त योग्य है।

5. साईड प्रभारी कर्मचारी ने राजनैतिक व्यक्ति के कहने पर सिर्फ अपीलांट से आपसी नाराजगी होने के कारण झुठी रिपोर्ट की है और उसी रिपोर्ट पर बिना किसी प्रकार की जांच किये बिना किसी प्रकार का साक्ष्य लिए मातहत अदालत ने विधि विरुद्ध एकतरफा निर्णय किया है जो निरस्त योग्य है।

6. मातहत अदालत का निर्णय स्पीकिंग आर्डर नहीं है जो निर्णय कि परिभाषा में नही आता है इसलिए मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है।

7. मातहत अदालत ने अपने निर्णय में अपीलांट को अतिक्रमि मानकर निर्णय किया है जबकि अपीलांट ने कभी अतिक्रमण नहीं किया उसके बावजूद भी अतिक्रमी मानकर कठोर निर्णय किया जो साजिसाना है सिर्फ अपीलांट को परेशान करने के लिए विधि विरुद्ध निर्णय किया है, जो किसी भी प्रकार से चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज योग्य हैं ।

लिहाजा अपील अपीलान्ट पेश कर अर्ज है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर निर्णय दिनांक 17.04.2025 खारिज करने का आदेश फरमावें

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेन्टस संख्या- 1 ता 3 को जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस से तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट संख्या-1, 2 स्वयं उपस्थित हुये एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या-01 की ओर से श्री रविन्द्र गोदारा एडवोकेट उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वन विभाग द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही की गई लेकिन ग्राम डुंगराना सिद्धमुख नहर परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। नहर परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत होने पर राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के तहत कार्यवाही की जा सकती है, जिसका अधिकार क्षेत्र तहसीलदार को है। वन विभाग को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के तहत कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। इसलिये वन विभाग द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर निर्णय निर्णय किया, जो निरस्त योग्य है। वन विभाग द्वारा कोई पैमाईस नहीं करवाई गई। यदि कोई पैमाईस करवाई गई तो एकपक्षीय करवाई गई है, उसमें सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है एवं वन विभाग द्वारा पूर्व में पैमाईस करवाई थी, जिसके मुताबिक अपनी सीमा में तारबंदी की हुई एवं खाई खुदवाई गई। उससे हटकर हमारी खातेदारी भूमि में मकान निर्माण किये हुये है। ग्राम के बहुत सारे लोगो द्वार मकान निर्माण कर रिहायस की जा रही है लेकिन अपीलांट पर राजनीतिवश कार्यवाही की जा रही है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.04.2025 को पारित निर्णय अपास्त किया जा कर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।



अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या-01 ने अपनी बहस में कथन किया कि वन विभाग द्वारा भू-अभिलेख निरीक्षक, हल्का पटवारी एवं वन विभाग के प्रतिनिधि द्वारा सीमाज्ञान किया गया। टीम द्वारा किये गये सीमाज्ञान के उपरान्त ही वन विभाग द्वारा वन विभाग की भूमि के अतिक्रमियों को हटाने हेतु नोटिस जारी किया गया। वन विभाग द्वारा अपने

क्षेत्राधिकार में जीपीएस मशीन द्वारा पैमाईस करवाकर कार्यवाही की गई। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावाली का अवलोकन किया गया। क्षेत्रिय वन अधिकारी भादरा, साईट इन्चार्ज एवं मौका पंचनामा की रिपोर्ट, नजरी नक्शा के अनुसार 0.01 है० भूमि पर अवासीय मकान बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है। उक्त अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाने अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक हनुमानगढ़ द्वारा दिनांक 17.04.2025 को पारित निर्णय न्यायोचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक हनुमानगढ़ की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फ़ैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 29/9/25 को सरेइजलास सुनाया गया



8910
(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
अतिमोहर जिला कलेक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)